संख्या-17/2015/599सी0डी0/46-3-15-1000(77)/2014

प्रेषक,

राम मोहन सक्सेना,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी,
बदायूँ।

चीनी उद्योग अनुभाग-3 **लखनऊ: दिनांक 25 मार्च, 2015**

विषयः-वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुदान संख्या-23 निर्मित अन्तर्ग्रामीण सड़कों के सुदृढ़ीकरण के अन्तर्गत स्वीकृत भौतिक लक्ष्यों के संशोधन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-2167 सी0डी0/46-3-14-1000(77)/2014 दिनांक 24 सितम्बर, 2014 एवं गन्ना आयुक्त, उ0प्र0 के पत्र संख्या-1341/अ0ग्रा0, दिनांक 19.03.2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गन्ना आयुक्त के प्रस्ताव के क्रम में, सम्यक विचारोपरान्त उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश संख्या 2167 सी0डी0/46-3-14-1000(77)/2014 दिनांक 24 सितम्बर, 2014 द्वारा स्वीकृत जनपद बदायूँ की, इस पत्र के संलग्नक के **कालम-2 में अंकित सम्पर्क मार्ग की कालम-3 में अंकित लम्बाई को, निविदा दर 5.90 प्रतिशत् कम होने से हो रही बचत के कारण, संलग्नक के कालम-8 के अनुसार भौतिक लक्ष्य में संशोधन करने एवं तदनुसार लम्बाई बढ़ाये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।**

3- उपर्युक्त स्वीकृति शासनादेश संख्या**-2167 सी0डी0/46-3-14-1000(77)/2014 दिनांक 24 सितम्बर, 2014 में** उल्लिखित नियमों**,** शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है। कृपया तदनुसार उक्त शासनादेश **संख्या 2167 सी0डी0/46-3-14-1000(77)/2014 दिनांक 24 सितम्बर, 2014** को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,

(राम मोहन सक्सेना)
विशेष सचिव।

संख्या-17/2015/599सी0डी0/46-3-15-1000(77)/2014 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवयक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।

2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।

क्रमशः-**.....2**

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0,छठां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ।

4- प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।

5- गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

6- प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।

7- वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त उ0प्र0, लखनऊ।

8- संबंधित जनपदों के मण्डलायुक्त।

9- संबंधित जनपदों के जिलाधिकारी।

10- संबंधित जनपदों के कोषाधिकारी।

11- संबंधित क्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्त/संयुक्त गन्ना आयुक्त, उ0प्र0।

12- नियोजन अनुभाग-3/राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/2

13- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2

14- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राम मोहन सक्सेना)
विशेष सचिव।

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-**17/2015/599** सी0डी0**/46-3-15-1000(77)/2014,** दिनांक **25** मार्च**, 2015** का संलग्नक

जिला योजना वर्ष **2014-15** में अनुदान संख्या-**23** के अन्तर्गत निर्मित अन्तर्ग्रामीण सड़कों के सुदृढ़ीकरण/पुनर्निर्माण हेतु प्राप्त बचत के सापेक्ष संशोधित कार्ययोजना **(**जनपद बदायूँ के लिये**)**

जनपद का नाम	सम्पर्क मार्ग का नाम	शासनादेश दिनांक **24** सितम्बर**, 2014** के अनुसार स्वीकृत कार्ययोजना					स्वीकृत की जा रही संशोधित कार्ययोजना				
		लम्बाई (कि**0**मी**0)**	स्वीकृत लागत (ला**0**रू**0)**	राज्यांश (ला**0**रू**0)**	सेन्टेज की धनराशि (ला**0**रू**0)**	मार्ग के निर्माण हेतु सेन्टेज रहित धनराशि (ला**0**रू**0)**	लम्बाई (कि**0**मी**0)**	स्वीकृत लागत (ला**0**रू**0)**	राज्यांश (ला**0**रू**0)**	सेन्टेज की धनराशि (ला**0**रू**0)**	मार्ग के निर्माण हेतु सेन्टेज रहित धनराशि (ला**0**रू**0)**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
बदायूँ	दातागंज रोड से लखनपुर मार्ग	**1.00**	**27.602**	**21.71**	**2.41**	**19.30**	**1.06**	**27.602**	**21.71**	**2.41**	**19.30**

(राम मोहन सक्सेना**)**

विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।